

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	ननपद <u>वैनीताल</u> के विकास खण्ड में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from <u>Nainital to Bhawali to Khairna Bridge</u> (Total Length Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि..... है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	
(iii)	वन प्रभाग	 वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)	 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि कालसी कक्ष सं-27 हैक्टर सिविल सोयम भूमि हैक्टर पंचायत वन भूमि हैक्टर नापभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	--
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - पर चस्पा है।